न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 16/2016

1 मामचन्द पुत्र गुडदयाल
2 छैलुराम पुत्र गुडदयाल
3 भरतसिंह पुत्र गुडदयाल
4 रिछपाल पुत्र गुडदयाल
5 शीशराम पुत्र गुडदयाल
जाति जाट निवासी गाड़ाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 धर्मपाल पुत्र माईबक्स
2 रघुवीर पुत्र माईबक्स
3 राजेश पुत्र माईबक्स जाति समस्त जाट निवासी गाड़ाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
4 न्यु राजस्थान कॉलेज समिति गाड़ाखेड़ा तहसील बुहाना जरिये सचिव विनोद
5 देवकरण पुत्र श्री गणपत
6 हरिसिंह पुत्र श्री गणपत
7 मातादीन पुत्र हनुमान
जाति जाट निवासी गाड़ाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
8 मृतक नेकीराम पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी गाड़ाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू। 'नोट– दौराने वाद दिनांक 10.10.2015 को मृत्यु।'
8/1 शान्ति स्त्री नेकीराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

8/2 जलेसिंह पुत्र नेकीराम
8/3 बलबीर पुत्र नेकीराम
8/4 सुशीला पुत्री नेकीराम
8/5 अंजना पुत्री नेकीराम
जाति जाट निवासी गाड़ाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
9 अमीलाल पुत्र हनुमान
10 सचिन पुत्र कर्णसिंह
जाति जाट निवासी गाड़ाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
11 राजेश जांगिड़ पुत्र श्री गुरूदयाल
12 कर्णसिंह पुत्र श्री चेतराम
13 सुरजकुमार पुत्र श्री चेतराम
14 नगेश कुमार पुत्र श्री चेतराम
15 नरेन्द्र उर्फ नगेन्द्र पुत्र श्री जुगलाल नवीरा ताराचन्द
जाति जाट निवासी गाड़ाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
16 मृतक श्रीमती कनणी पत्नी स्व. सुखाराम जाति जाट निवासी गाड़ा खेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू। 'दौराने वाद दिनांक 14.11.2015 को मृत्यु'।
17 विद्याधर पुत्र सुरजाराम
18 महावीर पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी गाड़ाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
19 भगोती देवी पत्नी स्व. श्री होशियार सिंह
20 सुनिल पुत्र श्री होशियार सिंह
21 अनिता पुत्र श्री होशियार सिंह
22 सुमित्रा पत्नी स्व. सुरेश कुमार
23 विशाल पुत्र श्री सुरेश कुमार
24 दीपक पुत्र श्री सुरेश कुमार
25 मातुराम पुत्र श्री ताराचन्द
26 फुलचन्द पुत्र श्री ताराचन्द
27 सत्येन्द्र पुत्र श्री रिछपाल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

28 समरजीत पुत्र श्री रिछपाल
29 भगवाना पुत्र श्री रिछपाल
30 श्रीमती सरोज पत्नी स्व. रामस्वरूप पुत्र वधु ताराचन्द
31 धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप नवीरा ताराचन्द
32 प्रदीप कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप नवीरा ताराचन्द
33 अन्जुकुमारी पुत्र श्री रामस्वरूप नवीरा ताराचन्द
34 जगमाल पुत्र श्री हंसराज नवीरा ताराचन्द
35 कन्हैया पुत्र श्री सुखराम
35/1 श्रीमती सरबती बेवा कन्हैयालाल
35/2 सुभाषचन्द्र पुत्र स्व. कन्हैयालाल
36 अमरसिंह पुत्र श्री इन्द्राज
37 नरेन्द्र पुत्र श्री इन्द्राज जाति जाट निवासी गाड़ाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
38 रामनाथ पुत्र श्री बालुराम निवासी ढाका मण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
39 हरिसिंह पुत्र श्री लालचन्द
40 राजेन्द्र पुत्र श्री लालचन्द
41 कमला पत्नी श्री रणवीर
42 विकास पुत्र श्री रणवीर
43 जोगेन्द्र पुत्र श्री रणवीर
44 रजनी पुत्री श्री रणवीर
45 रेणू पुत्री श्री रणवीर
46 किरण पत्नी स्व. श्री प्रतापसिंह
47 राजेश पुत्र श्री प्रतापसिंह
48 विकास पुत्र श्री प्रतापसिंह
49 नरेश पुत्र श्री प्रतापसिंह
50 कविता पुत्र श्री प्रताप सिंह
51 भरपाई पत्नी श्री अमरसिंह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जाति जाट निवासी गाड़ाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

52 मृतक सुरेश पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी गाड़ाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू। 'दौराने वाद दिनांक 02.11.2015 को मृत्यु'।

52/1 आशा स्त्री सुरेश

52/2 चंचल पुत्री सुरेश जाति जाट निवासी गाड़ाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

52/3 मनजीत पुत्र सुरेश नाबालिग जरिये माता आशा स्त्री सुरेश जाति जाट निवासी गाड़ाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

53 सविता पुत्री श्री अमरसिंह पत्नी श्री देशराज निवासी ढाणी हुक्मा हाल आबाद गाड़ाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

54 शान्ति पत्नी स्व. फुलचन्द पुत्र वधु जेतूराम

55 सुरेन्द्र पुत्र श्री फुलचन्द नवीरा जेतूराम

56 आशीष पुत्र श्री फुलचन्द नवीरा जेतूराम

57 सन्ता पुत्री श्री फुलचन्द नवीरा जेतूराम

58 कमला पुत्री श्री फुलचन्द नवीरा जेतूराम

59 पतासी पत्नी श्री श्योचन्द पुत्र वधु जेतूराम (नाऔलाद देहान्त)

60 मांगेराम पुत्र श्री श्योचन्द नवीरा जेतूराम

61 मायाकोर पुत्री श्री श्योचन्द नवीरा जेतूराम (नाऔलाद देहान्त)

61/1 हरचन्द पुत्र श्री नामालुम

61/2 राजवीर पुत्र श्री हरचन्द

61/3 छोटेलाल पुत्र श्री हरचन्द

61/4 शिशु पुत्री हरचन्द

61/5 प्रियंका पुत्री श्री हरचन्द

62 हवाकौर पुत्री श्री श्योचन्द नवीरा जेतूराम

63 सावित्री पुत्री श्री श्योचन्द नवीरा जेतूराम

64 भतेरी पुत्री श्री श्योचन्द नवीरा जेतूराम

65 बनवारीलाल पुत्र श्री टेकचन्द नवीरा जेतूराम

66 रघुवीर पुत्र श्री टेकचन्द नवीर जेतूराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

67 संतरा पुत्री श्री टेकचन्द नवीरा जेतूराम
68 दयाकोर पुत्री श्री टेकचन्द नवीरा जेतूराम
69 महेन्द्र पुत्री श्री टेकचन्द नवीरा जेतूराम
70 कमला पुत्री श्री टेकचन्द नवीरा जेतूराम
71 रोशनी पुत्री श्री टेकचन्द नवीरा जेतूराम
72 हरबाई पत्नी श्री बजरंग पुत्र वधु जेतूराम
73 झुंथाराम पुत्र श्री बजरंग नवीरा जेतूराम
74 रेशमा पुत्री श्री बजरंग नवीरा जेतूराम (फौत)
75 बिमला पुत्री श्री बजरंग नवीरा जेतूराम
76 भतेरी पुत्री श्री बजरंग नवीरा जेतूराम
77 रामप्यारी पत्नी स्व. श्री महादाराम पुत्र वधु जेतूराम
78 धर्मवीर पुत्र महादाराम नवीरा जेतूराम
79 कमलेश पुत्री श्री महादाराम नवीरा जेतूराम
80 मांगुराम पुत्र श्री श्योचन्द
81 सरति पत्नी स्व. कुरड़ाराम
82 माया देवी पत्नी स्व. शीशराम
83 राजवीर पुत्र श्री शीशराम
84 यशवीर पुत्र श्री शीशराम
85 दलीप सिंह पुत्र श्री कुरड़ाराम
86 महेन्द्रसिंह पुत्री श्री कुरड़ाराम
87 सुबेसिंह पुत्र श्री कुरड़ाराम
88 मानसिंह पुत्र श्री कुरड़ाराम
89 शान्ति पत्नी स्व. भगवानाराम
90 विजय सिंह पुत्र भगवानाराम
91 हरिसिंह पुत्र भगवानाराम
92 शुभराम पुत्र श्री सुलतान
93 मोहरसिंह पुत्र श्रीजीराम
94 बस्तीराम पुत्री श्रीजीराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

समस्त जाति जाट निवासी गाड़ाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
95 मृतक दलीपसिंह पुत्र श्री जीराम जाति जाट निवासी गाड़ाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
95/1 जोगेन्द्र पुत्र दलीपसिंह जाति जाट निवासी गाड़ाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
96 जयदयाल पुत्र श्रीजीराम
97 पालाराम पुत्र श्री मनीराम
98 राजेश पुत्र श्री फुलचन्द
99 रामसिंह पुत्र स्व. कुरड़ाराम
100 गोकुल पुत्र स्व. श्री कुरड़ाराम
101 नेकीराम पुत्र स्व. श्री कुरड़ाराम
102 सुभाष पुत्र स्व. श्री कुरड़ाराम
103 श्याराम पुत्री श्री कुरड़ाराम
104 दयाकोर पुत्री श्री कुरड़ाराम
105 बिमला पुत्री श्री कुरड़ाराम
106 माया देवी पुत्री श्री कुरड़ाराम
107 शेखावाटी ग्रामीण (बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण) बैंक शाखा गाड़ाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
108 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनूं।
109 सत्यवीर पुत्र गुड़दयाल जाति जाट निवासी गाड़ाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

प्रथम अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 06.01.2016 बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना मुक़दमा उनवानी धर्मपाल बनाम सत्यवीर वगै. मु.नं. 21/2015 दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा खाता विभाजन एवं रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 26.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा 21/2015 में पारित निर्णय दिनांक 06.01.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 175/1 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 180 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 181 रकबा 1.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 184 रकबा 3.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 458 रकबा 0.85 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 182 रकबा 0.06 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम गाड़ाखेड़ा तहत तहसील बुहाना में स्थित है। उक्त जमीन के बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 3 ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा, खाता विभाजन एवं रिकार्ड दुरूस्ती का अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद पत्र में अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस सत्यवीर ने विचारण न्यायालय के समक्ष दावा में दर्ज जमीन व अन्य जमीन हाल खसरा नम्बर 451, 449, 452, 479, 482/2 वाके गाड़ाखेड़ा बाबत खाता विभाजन का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बिना प्रोसेस अपनाये अपीलान्टस के प्रतिदावा बाबत स्पष्ट रूप से बिना स्वीकार या खारिज किये रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 3 का दावा प्रारम्भिक रूप से डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री जैर बहस पारित करने में अपीलान्टस के जवाब दावा को नजर अन्दाज किया है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 3 ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी समस्त कोटिनेन्सी की जमीन को खाता विभाजन बाबत शामिल नहीं किया। कानून से खाता विभाजन के दावा में संयुक्त कोटिनेन्सी की सम्पूर्ण जमीन को शामिल किया जाना कानूनन आवश्यक है। अगर खाता विभाजन के दावा में सम्पूर्ण जमीन को अगर शामिल नहीं किया जाता है तो वह पक्षकार आदेश 2 नियम 2 जा.दी. के तहत अन्य जमीन में अपने हक हिस्सा का बंटवारा नहीं करवा सकता एवं छोड़ी गई जमीन में से अपने हक हिस्से का त्याग करना यानि हक छोड़ना माना जाता है। जमीन हाल खसरा नम्बर 451, 449, 452, 479, 482/2 अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 3 व अन्य कोटिनेन्टस की वर्तमान जमाबन्दी में वर्णित अनुसार कोटिनेन्सी की जमीन है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 3 ने उक्त जमीन को अपने खाता विभाजन के दावा में शामिल नहीं किया तथा दावा में उक्त जमीन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

को शामिल क्यों नहीं किया इस बाबत कुछ नहीं लिखा। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने विचारण न्यायालय के समक्ष दावा क्लीन हैण्ड से पेश नहीं किया यानि वास्तविक तथ्य को छुपाकर दावा पेश किया है। विचारण न्यायालय ने दावा व जवाब दावा तथा प्रतिदावा के मुताबिक प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की। विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस को बिन सुने बिना साक्ष्य सबुत का अवसर प्रदान के रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 से 3 के दावा को प्रारम्भिक रूप से डिक्री करने में कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.12.2015 को आदेशिका में यह लिखा है कि विचारण न्यायालय के समक्ष इसी जमीन बाबत पूर्व में दावा संख्या 273/2010 प्राथमिक रूप से डिक्री हो चुका है लेकिन तहसीलदार विभाजन रिपोर्ट पेश नही कर रहा है। विचारण न्यायालय के समक्ष जब यह तथ्य सामने आ गया कि उक्त जमीन के बाबत पहले भी दावा चला था तथा वह दावा पहले ही इसी न्यायालय द्वारा प्राथमिक रूप से डिक्री हो चुका है। तो एक ही जमीन के बाबत दो बार डिक्री जारी नहीं हो सकती तथा इस तथ्य को रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 3 ने भी अपने दावा में छुपाया है। जमीन हाल खसरा नम्बर 175/1, 180, 181, 184, 458, 182 में अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट सत्यवीर का संयुक्त रूप से 1/48 हक हिस्सा है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 का संयुक्त रूप से 1/48 हक हिस्सा अन्य का प्रतिदावा की धारा 1 के मुताबिक हक हिस्सा है। जमीन हाल खसरा नम्बर 449, 452, 479, 482/2 में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सत्यवीर का संयुक्त रूप से 1/21 हिस्सा तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 3 का 1/21 हक हिस्सा है। जमीन हाल खसरा नम्बर 451 रकबा 0.05 हैक्टेयर गैर मुमकिन कुआ में अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 से 3 का 1/42 हक हिस्सा है। विचारण न्यायालय ने मृतक पक्षकारों के विरूद्ध निर्णय जैर बहस पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.01.2016 से पूर्व विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी नम्बर 11 नेकीराम का दिनांक 10.10.2015 को तथा प्रतिवादी नम्बर 19 कनणी का दिनांक 14.11.2015 को तथा प्रतिवादी नम्बर 55 सुरेश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

का दिनांक 02.11.2015 को देहान्त हो चुका है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्राथमिक डिक्री पारित करने से पूर्व उपरोक्त मृतक व्यक्तियों के कायम मुकाम को रिकार्ड पर नहीं लिया। कानून से मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार निर्णय व प्राथमिक डिक्री जैर बहस मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित होने से खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 3 ने दावा में जमीन हाल खसरा नम्बर 181 में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 3 का कोई लेना देना नहीं है। जमीन हाल खसरा नम्बर 181 सम्पूर्ण रिहायश के काम में आती है विचारण न्यायालय ने निर्णय जैर बहस में निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित करने का आधार दर्ज नहीं किया इस कारण भी निर्णय व डिक्री जैर बहस खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष दावा प्रारम्भिक रूप से निर्णित करने के लिये अपीलान्टस के वकील की सहमति गलत लिखी है। पक्षकारान को साक्ष्य सबूत का अवसर नहीं दिया। सिविल प्रक्रिया संहिता के आवश्यक प्रावधानों के खिलाफ निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी द्वारा विभाजन का वाद प्रस्तुत किया था। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में पक्षकारों की अन्य भूमियां खसरा नम्बर 449, 452, 279, 482/2, 451 का भी विभाजन इसी वाद में किये जाने का काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने पत्रावली के अवलोकन के उपरांत वादी द्वारा चाही गयी विभाजन की भूमियां एवं अपीलांट द्वारा काउंटर क्लेम में अंकित भूमियों की खाता संख्या अलग-अलग होने के कारण, इन भूमियों के अन्य सहखातेदारों को सूचित नहीं करने पर काउंटर क्लेम खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपीलांट इन भूमियों के संदर्भ में पृथक से विभाजन का वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

साक्ष्य का विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी द्वारा विभाजन का वाद प्रस्तुत किया था। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में पक्षकारों की अन्य भूमियां खसरा नम्बर 449, 452, 279, 482/2, 451 का भी विभाजन इसी वाद में किये जाने का काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने पत्रावली के अवलोकन के उपरांत वादी द्वारा चाही गयी विभाजन की भूमियां एवं अपीलांट द्वारा काउंटर क्लेम में अंकित भूमियों की खाता संख्या अलग–अलग होने के कारण, इन भूमियों के अन्य सहखातेदारों को सूचित नहीं करने पर काउंटर क्लेम खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपीलांट इन भूमियों के संदर्भ में पृथक से विभाजन का वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर